405

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, फर्रूखाबाद ।

पीठासीन–दीपेन्द्र कुमार सिंह–। .....एच०जे०एस० J.O.Code–UP2720

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 593/2026

सी०एन०आर०नम्बर– UPFR010022842026

सनी कुशवाह पुत्र शान्ती स्वरूप उर्फ शान्ती प्रकाश कुशवाह, निवासी– कचहरी फतेहगढ़, के पीछे आफिसर्स कालोनी, थाना– फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।

मु०अ०सं०–405/23
धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० 1860
एवं 3(1) द, 3 (1) ध एस०सी०/एस०टी०एक्ट
थाना–फतेहगढ़, **जनपद**–फर्रूखाबाद ।

दिनांक–08.06.2026

1. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **सनी कुशवाह** का जमानत हेतु प्रार्थना पत्र आज प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिराक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि,"प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण मा. न्यायालय द्वारा 10.04.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में झूंठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। वादी मुकदमा द्वारा जो प्र.सू.रि. अंकित कराई गयी है, उसमें घटना की दिनांक अंकित नहीं है, मात्र प्रार्थना पत्र दिये जाने की दिनांक अंकित है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। चिकित्सीय परीक्षण में वादी को मात्र एक चोट आना बताया गया है, जो कि साधरण प्रकृति की है। प्रार्थी/अभियुक्त का वादी मुकदमा से रूपयों का लेन देन है, जिस कारण से वादी मुकदमा ने ये फर्जी घटना बनाकर मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, न ही कोई जाति सूचक गालियां दी या मारपीट की गयी।

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 16:48:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त कलेक्ट्रेट फतेहगढ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। प्रार्थी के भागने या फरार होने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वार वादी मुकदमा को या साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास सजायावी का नहीं है। अन्य कथनों के साथ जमानत की याचना की गयी है।

3. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के जाति सूचक शब्दों से साथ गाली–गलौज किया गया एवं मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। अतः अभियुक्त की जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

4. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्त के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर विद्यमान प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पत्रावली पर विद्यमान प्रपत्रों का अवलोकन करने पर पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध, के संबंध में अधिकतम दण्डादेश 5 वर्ष तक प्रावधानित है। वादी मुकदमा को आयी चोटें साधरण प्रकृति की है, जिनकी पुष्टि पत्रावली पर विद्यमान मेडिकल रिपोर्ट से हो रही है। अभियुक्त तहसील का कर्मचारी है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

6. इस भाँति, मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7. प्रार्थी/अभियुक्त **सनी कुशवाह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र, **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) का निजी बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू निर्गत करने पर, इस शर्त के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाता है कि प्रार्थी, विशेष सत्र परीक्षण के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं देगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–08.06.2026

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, फर्रूखाबाद।